

विलंबित भुगतान अधिभार (एलपीएस) नियम, 2022 के तहत बकाया बकाया की निकासी के लिए डिस्कॉम को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश

पीएफसी निम्नलिखित के अधीन विलंबित भुगतान अधिभार (एलपीएस) नियम, 2022 के तहत बकाया राशि की निकासी के लिए डिस्कॉम को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विचार कर सकता है:

1. योग्य एंटीटी

राज्य के स्वामित्वाधिन वितरण कंपनियों/संयुक्त उत्पादन और वितरण कंपनियों, होल्डिंग कंपनियों/डिस्कॉम का प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाली कंपनियों/डिस्कॉम/बिजली विभागों की ओर से बिजली खरीदने वाली कंपनियां।

2. वित्तीय सहायता की सीमा

फंडिंग की सीमा एलपीएस नियमों के तहत पुनर्निर्धारित किए जाने वाले उधारकर्ता की कुल बकाया राशि तक सीमित होगी

3. प्रतिभूति

- ऋणकर्ता को राज्य सरकार की गारंटी प्रदान करनी होगी।
- पीएफसी बजटीय आवंटन आदि जैसी अतिरिक्त प्रतिभूति भी निर्धारित कर सकता है

4. ऋण अवधि

आहरण अवधि पूरी होने के बाद ऋण अधिकतम 120 समान मासिक मूल किस्तों में चुकाया जाएगा।

5. ऋण का पूर्व भुगतान

प्रीपेमेंट के समय पीएफसी की प्रचलित पॉलिसी के अनुसार प्रीपेमेंट प्रीमियम लागू होगा।

6. विविध

विद्युत मंत्रालय द्वारा सलाह के अनुसार अतिरिक्त विवेकपूर्ण मानदंड और उदय सीमाएँ इस सुविधा के लिए लागू होंगी, जब तक कि उन्हें विद्युत मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से छूट नहीं दी जाती है।

7. ब्याज दर

जैसा कि निगम द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाता है।